

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: स्वाति (तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 125 / 2022
सरकार बनाम सज्जन, अनुप, कृष्ण पुत्रान निहालसिंह,
जाति- मेघवाल,
निवासी- कुलोठ खुर्द

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 25.11.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान की ओर से सज्जन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सज्जन, अनुप, कृष्ण पुत्रान निहालसिंह जाति- मेघवाल, निवासी- कुलोठ खुर्द द्वारा रोही मौजा कुलोठ खुर्द की भूमि ख.नं. 528/95 कुल रकबा 6.44 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है० भूमि पर कुल्डी व बटोडा डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से सज्जन ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें कचरा व कुरड़ी आदि के लिए अस्थायी रूप से काम में लेना बताया है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। गैर सायलान ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रु. कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-22-11-22 के गणले 104
के फूट 18 पर राशि 9/11
गोप 1/11/22

12/11/22

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़